

13 APR 2028
समक्ष : श्रीमान विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम,

प्रशासनिक भवन छ.रा.वि.वि.कं. मर्या. राजनांदगाँव

1. वीरेंद्र श्रीवास्तव
2. तुलसी राम साहू
3. आर. डी. निर्मलकर
4. द्वारिका प्रसाद साहू
5. नरोत्तम पवार
6. भरत लाल साहू

एवं 15 अन्य

..... आवेदकगण / परिवादीगण

विरुद्ध

1. कार्यपालन अभियंता सं.सु. संभाग छ.रा.वि.वि.कं. मर्या. राजनांदगाँव
2. सहायक अभियंता राजनांदगाँव शहर पू/प / सोमनी / ग्रामीण क्षेत्र

..... अनावेदकगण

सूचना पत्र अंतर्गत धारा 42 (5) विद्युत अधिनियम 2003

आवेदकगण की ओर से निम्नानुसार निवेदन प्रस्तुत है :-

मैं प्रशांत तिवारी अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी एसोसिएशन शाखा राजनांदगाँव विद्युत कंपनी की सेवा से मुक्त होकर कंपनी का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ | अभी कुछ दिनों पूर्व राजनांदगाँव संभाग के अंतर्गत स्थित विभिन्न कार्यालयों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके नाम से तथा पते पर व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगाते हुये सेवानिवृत्ति के पश्चात विद्युत देयकों में प्राप्त अतिरिक्त छुट की राशि वसूली बाबत पत्र जारी किए गए और जारी किए जा रहे हैं जिसमें वसूली का कोई विवरण भी उल्लेखित नहीं है कि वसूली कब से ली जानी है और कितनी प्रत्येक वर्ष में देय होगी |

महोदय प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनकी संख्या काफी अधिक है यदि अपने नाम से स्वयं उपस्थित होकर आवेदन / प्रकरण दायर करता है तो आपको भी प्रत्येक आवेदन पर अलग अलग निर्णय देना पड़ेगा जिसमें आपका काफी समय व्यतीत होगा और निर्णय देने में भी देरी होने की संभावना हो सकती है | इसलिए समय को देखते हुये मैं आवेदनकर्ता /

परिवादीगण की ओर से यह आवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं इस प्रकरण में सभी परिवादीगणों की ओर से स्वयं पैरवी करूंगा इसके लिए सभी परिवादियों ने अपनी अपनी सहमति भी दे दी है।

आशा है हमारे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे।

1. यह कि परिवादीगणों का नाम / बी.पी. न. / वह राशि जो वसूली के लिए निकली गई है निम्नानुसार है :-

नाम	बी.पी. न.	राशि
1. वीरेंद्र श्रीवास्तव	1000537640	19092/-
2. तुलसी राम साहू	1000876895	16036/-
3. आर. डी. निर्मलकर	1002010460	42509/-
4. द्वारिका प्रसाद सिन्हा	1000537437	27908/-
5. नरोत्तम पवार	1000537501	18726/-
6. भारत लाल साहू	1000775923	17191/-
7. कृष्णा लाल देवांगन	1000780892	18634/-
8. मेहताब सिंह	1000780866	17573/-
9. शिलु राम यादव	1000537492	7269/-
10. फागु दास कोसरे	1000780875	22281/-
11. मनराखन लाल साहू	1000537537	29034/-
12. राजेंद्र प्रसाद चंद्राकर	1000780859	50610/-
13. धनेश साहू	1007632552	27675/-
14. मेहेतरु राम गोंड	1002162147	48097/-
15. दिनेश तिवारी	1000537657	38152/-
16. कपिल राम साहू	1000780878	26832/-
17. राजेंद्र कुमार सोनी	1008451354	29361/-
18. जितेंद्र कुमार लाल	1002007768	24640/-
19. ओंकार कावडे	1001843602	12302/-
20. रमेश राव गायकवाड	1005734319	12673/-
21. अशोक कुमार मोरे	1000537639	9618/-

2. यह कि हम नियमित रूप से प्रति माह प्राप्त होने वाले विद्युत देयकों का भुगतान करते आ रहे हैं, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई राशि बकाया नहीं है। जब हमारे ऊपर कोई विद्युत देयक की राशि बकाया नहीं है तो फिर किस कारणवश हमको अतिरिक्त देयक जारी किया गया है जिसे निरस्त किया जाये। आवेदकगणों की ओर से उक्त प्राप्त अतिरिक्त देयकों का विरोध करते हुये उसे निरस्त करने का निवेदन पत्र अतिरिक्त देयक जारी करने वाले कार्यालयों में निवेदन किया गया है परंतु उसका कोई उत्तर आज दिनांक तक आवेदकगणों को प्राप्त नहीं हुआ है।

Annexure -1

3. यह कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि "तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी इस धारा के अधीन किसी उपभोक्ता द्वारा देय कोई राशि उस दिनांक से 2 वर्ष की अवधि के पश्चात वसूली नहीं की जाएगी, जब ऐसी राशि पहली बार देय हुई थी जब तक की ऐसी राशि प्रदाय की गई विद्युत के प्रभारों के बकाया के रूप में लगातार वसूलनीय दर्शित नहीं की गई हो और अनुज्ञप्ति धारी विद्युत के प्रदाय को नहीं कटेगा।"

4. यह कि यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 यह कहती है कि देरी को माफ करने के लिए उचित कारण बताना अनिवार्य है, इस संबंध में कथन है कि कंपनी द्वारा कोई उचित कारण नहीं बताया गया है, सिर्फ यह कहना त्रुटि हुई पर्याप्त कारण नहीं हो सकता।

5. यह कि अतिरिक्त छुट का प्रावधान छ.ग. शासन द्वारा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी थे तब से छ.ग. शासन द्वारा प्रदत्त हाफ बिजली बिल योजना का लाभ दिया जा रहा था तथा छ.ग. शासन के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णु देव साय ने भी इस योजना को जारी रखा है। छ.ग. के प्रत्येक विद्युत उपभोक्ताओं के साथ ही परिवादीगण भी उक्त हाफ बिजली योजना को प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा

हमें इसी क्रम से 50% की दर से जो छुट दी जा रही है तो फिर 25% की दर से क्यों भुगतान हेतु अतिरिक्त देयक जारी किए जा रहे हैं | उक्त आधार पर इसे निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा |

6. यह कि इस संबंध में मैं आपका ध्यान आपके समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्र. **BSP/25100** में पारित आदेश दिनांक 24/03/2026 की ओर करना चाहूँगा जिसकी छायाप्रति संलग्न है, जिसमें बिलासपुर निवासी श्री बद्रीनाथ देवांगन द्वारा अतिरिक्त देयक की राशि के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया था जिसे माननीय फोरम ने आंशिक रूप से प्रमाणित माना है ऐसा कथन आदेश की कंडिका 8 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है | फोरम कड़ा रख अपनाते हुये यह भी आदेशित किया है कि 6 वर्ष पुरानी राशि को पूर्व प्रभार के साथ वसूली करना न्यायसंगत नहीं है तथा यह भी कहा है कि विभाग की अपनी गलती या देरी के कारण किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता | सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शासन की हाफ बिजली बिल योजना का लाभ दिया जाना होगा |

Annexure -2

7. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में भी यह निर्देशित किया गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को त्रुटिवश भुगतान की गई राशि वसूल नहीं की जा सकती | यह आदेश श्री मरियानुष टोप्पो विरुद्ध शासन में पारित किया गया है जिसमें याचिकाकर्ता ने याचिका में माननीय सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न न्याय दृष्टांतों का हवाल दिया है जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने उल्लेख करते हुये प्रस्तुत याचिका को स्वीकार किया है | इस संबंध में दैनिक भास्कर अखबार की कटिंग संलग्न है |

Annexure -3

8. अनेक प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गए हैं कि एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से किसी भी प्रकार की शासकीय देयक राशि की वसूली नहीं की जा सकती विशेषकर तब जब वसूली की जाने वाली राशि विभागीय त्रुटि या

विलंब से संबंधित हो | उपरोक्त आधार पर भी भेजे गए अतिरिक्त देयकों को निरस्त किया जाए, क्योंकि परिवादीगण को प्राप्त पत्र में विभागीय त्रुटि स्पष्ट रूप से उल्लेखित है।

9. यह कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने श्री दिव्यकुमार साहू के प्रकरण में राज्य शासन द्वारा अपील को निरस्त करते हुये आदेश दिया है कि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के वेतन से कोई भी राशि वसूली योग्य नहीं है | माननीय न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि पहले से कोई राशि वसूली गई है तो उसे 6% वार्षिक ब्याज सहित तत्काल लौटाया जाए तथा यह भी टिप्पणी की है कि विभागीय त्रुटि की ज़िम्मेदारी कर्मचारी पर नहीं डाली जा सकती | इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के स्टेट आफ पंजाब विरुद्ध रफीक मसीह मामले में फैसले का हवाला देते हुये हाई कोर्ट ने कहा है कि विभागीय गलती से मिले अतिरिक्त वेतन की वसूली कर्मचारियों से नहीं की जा सकती | बिना गलती के कर्मचारी पर आर्थिक बोझ डालना संविधान के खिलाफ है | उक्त संबंध में दैनिक भास्कर बिलासपुर संस्करण में प्रकाशित दिनांक 31/07/2025 की कटिंग संलग्न है।

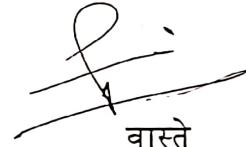
Annexure-4

10. यह कि इस संबंध में राज्य के उपभोक्ताओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता लागू की गई हुई जिसका प्रकाशन समय-समय पर किया गया है | इस संहिता की धारा 10.18 में भी यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि " No sum due from any consumer under section 56 of the Act shall be recoverable after the period of two years from the date when such sum became first due unless such has been shown continuously as recoverable as arrear of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the supply of the electricity."

अतः उपरोक्त समस्त आधारों पर परिवादीगण निवेदन करते हैं कि विषय की गंभीरता को देखते हुये अतिरिक्त देयक राशि की वसूली पर तत्काल रोक लगाने अन्तरिम आदेश जारी करते हुये प्रस्तुत प्रकरण यथाशीघ्र परिवादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाए।

दिनांक :- 15/4/2026
संलग्न :- दस्तावेज़

1. Annexure-1
2. Annexure-2
3. Annexure-3
4. Annexure-4



वास्ते
आवेदक / परिवादीगण

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.) 491441



क्रमांक 13-01/वि.उ.शि.नि.फो.राजनांदगांव / 37

राजनांदगांव दिनांक : 20/04/2026

1. श्री वीरेन्द्र श्रीवास्तव, 2. तुलसी राम साहू, 3. आर.डी. निर्मलकर, 4. द्वारिका प्रसाद सिन्हा
5. नरोत्तम पवार 6. भारत लाल साहू 7. कृष्णा लाल देवांगन, 8. मेहताब सिंह 9. शिलु राम यादव
10. फागु दास कोसरे 11. मनराखन लाल साहू 12. राजेन्द्र प्रसाद चंद्राकर 13. धनेश साहू
14. मेहेतरु राम गोंड, 15. दिनेश तिवारी, 16. कपिलराम साहू 17. राजेन्द्र कुमार सोनी
18. जितेन्द्र कुमार लाल 19. ओंकार कावड़े 20. रमेश राव गायकवाड 21. अशोक कुमार मोरे

विरुद्ध

1. कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग,
छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., राजनांदगांव।
2. सहायक अभियंता राजनांदगांव शहर/पू./प./सोमनी/ग्रामीण क्षेत्र।

सूचना पत्र अंतर्गत धारा 42 (5) विद्युत अधिनियम 2003

01. उपर वर्णित आवेदकों ने विद्युत कंपनी से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् 50 प्रतिशत दर से छूट प्राप्त कर 25 प्रतिशत दर से कंपनी को भुगतान हेतु अतिरिक्त देयक राशि की वसूली को तत्काल रोकने व अंतरिम आदेश जारी करने संबंधित शिकायत विरुद्ध शिकायत इस फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया है।
02. एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि निम्न बिन्दुओं पर अपना प्रत्युत्तर आवेदक को प्रेषित करने के साथ ही फोरम कार्यालय में दिनांक 29.04.2026 तक दो प्रतियां में प्रस्तुत करें।
 - i. क्या शिकायत का निपटारा आपके द्वारा किया जा सकता है?
 - ii. यदि निपटारा संभव न हो तो उसका कारण?
 - iii. प्रकरण से संबंधित जवाबदावा एवं दस्तावेज प्रस्तुत करें।
03. उत्तर की पृष्टि में विधि अनुसार शपथ पत्र भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावे।

उपरोक्त प्रकरण की सुनवाई की कार्यवाही धारा 42 (5) के तहत दिनांक 29.04.2026 को दोपहर 02:00 बजे निर्धारित की गई है, अतः निर्धारित समय एवं दिनांक का फोरम कार्यालय रायपुर में आवश्यक दस्तावेजों/जवाबदावा के साथ उपस्थित होवे अन्यथा विवाद का निपटारा एक पक्षीय रूप में करने के लिए फोरम द्वारा अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।


(ए.के. गौराहा)

अध्यक्ष,

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम राजनांदगांव

Received No. 895
Date 07/07/26
Signature

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक / विजशिनिफोराज. / 2026 / 60

राजनांदगांव दिनांक 06/07/2026

प्रति,

01. श्री वीरेन्द्र श्रीवास्तव एवं अन्य,
जिला राजनांदगांव।
02. कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग,
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., राजनांदगांव।

विषय :- प्रकरण क्रमांक / 20 / 2026 पर पारित आदेश।

—00—

विषयांतर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
फोरम राजनांदगांव द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।


अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, राजनांदगांव



प्रतिलिपि :

अधीक्षण अभियंता (वृत्त), छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., राजनांदगांव

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष ए.के. गौराहा)

प्रकरण क्रमांक / 20 / 2026

संस्थित दिनांक 15 / 04 / 2026

श्री वीरेन्द्र श्रीवास्तव एवं अन्य,

जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

....परिवादीगण

विरुद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग,

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., राजनांदगांव (छ.ग.)

....उत्तरवादी

आदेश

(दिनांक 06 / 07 / 2026 को पारित)

परिवादीगणों को उनकी सेवानिवृत्ति पश्चात उत्तरवादी द्वारा, विद्युत देयक में प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट (25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत) की राशि की वसूली हेतु प्रेषित पूरक राशि के मांग पत्र को निरस्त किए जाने के निवेदन के साथ परिवादीगणों द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किया गया है ।

2. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

क. प्रकरण से संबद्ध 21 नग परिवादीगणों को उनके परिसर में घरेलू उपयोग हेतु विद्युत कनेक्शन उत्तरवादी द्वारा प्रदान किया गया है जिसकी सूची आवेदन के साथ संलग्न है ।

ख. सभी परिवादीगणों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी उत्तरवादी द्वारा उनके विद्युत देयक में 50 प्रतिशत की विभागीय छूट प्रदान की जा रही थी ।

ग. उत्तरवादी के विभागीय नियमों में सेवारत कर्मचारियों के पास अपने विद्युत देयक में 50 प्रतिशत की छूट एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पास अपने विद्युत देयक में 25 प्रतिशत की विभागीय छूट प्राप्त किए जाने का विकल्प उपलब्ध है ।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादीगणों को उनकी सेवानिवृत्ति पश्चात उनके विद्युत देयक में अतिरिक्त विभागीय छूट उत्तरवादी द्वारा स्वयं की लापरवाही के कारण लंबी अवधि तक प्रदान की जाती रही है जिसके लिए परिवादीगण जिम्मेदार नहीं हैं । उत्तरवादी द्वारा प्रेषित मांग पत्र की राशि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अनुसार भी वसूली योग्य नहीं है । उत्तरवादी द्वारा जहां एक तरफ परिवादीगणों को प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट को वसूल किए जाने की कार्यवाही की जा रही है वहीं राज्य शासन की बिजली बिल हाफ योजना के लाभ से भी वंचित रखा जा रहा है जो कि अनुचित है । परिवादीगणों द्वारा माननीय

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा प्रकरण मारियानुस टोप्पो विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं प्रकरण दिव्य कुमार साहू विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में घोषित निर्णय के साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण रफीक मसीह विरुद्ध पंजाब राज्य में घोषित निर्णय का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए भी यह दावा किया गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी से किसी भी शासकीय देयक राशि की वसूली नहीं की जा सकती है अतः उत्तरवादी द्वारा प्रेषित पूरक राशि का मांग पत्र निरस्त किए जाने योग्य है ।

4. प्रस्तुत शिकायत का उत्तर, उत्तरवादी द्वारा पत्र क्रमांक 627 दिनांक 28.04.2026 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त संक्षेप में इस प्रकार है कि —

विभागीय नियमों में सेवानिवृत्त विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने विद्युत देयक में 25 प्रतिशत विभागीय छूट प्राप्त किए जाने का प्रावधान है लेकिन परिवादीगणों द्वारा सेवानिवृत्ति पश्चात भी 50 प्रतिशत की विभागीय छूट अपने विद्युत देयक में प्राप्त की जाती रही थी । परिवादीगणों द्वारा सेवानिवृत्ति पश्चात प्राप्त की गयी अतिरिक्त विभागीय छूट को वसूल किए जाने का निर्देश उच्च कार्यालय से प्राप्त होने पर पूरक राशि का मांग पत्र परिवादीगणों को जारी किया गया है जो कि नियमानुसार है ।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न प्रस्तुत होते हैं —

क. क्या परिवादीगण वैध शिकायतकर्ता हैं ।

ख. क्या विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अनुसार उत्तरवादी द्वारा प्रेषित पूरक देयक राशि वसूली योग्य नहीं है ।

ग. क्या परिवादीगणों को शासन की बिजली बिल हाफ योजना की छूट प्रदान नहीं करने की उत्तरवादी की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण है ।

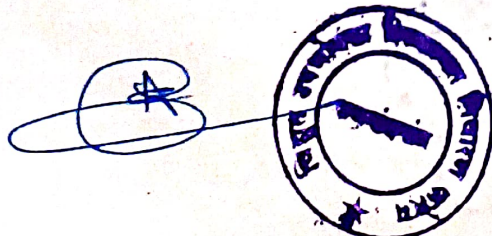
घ. क्या परिवादीगणों द्वारा संदर्भित माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. द्वारा घोषित निर्णय इस प्रकरण पर भी लागू होते हैं ।

ण. क्या परिवादीगणों को उनके विद्युत देयक में प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट के लिए मात्र उत्तरवादी जिम्मेदार है एवं इस आधार पर परिवादीगणों को प्रेषित पूरक राशि का मांग पत्र निरस्त किये जाने योग्य है ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (क) की विवेचना एवं निष्कर्ष —

6. परिवादीगण, विद्युत कंपनियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एक समूह है । उत्तरवादी द्वारा विद्युत देयक में दी गयी अतिरिक्त विभागीय छूट की राशि को वसूल करने के लिए प्रेषित किये गये पूरक राशि के मांग पत्र को निरस्त किए जाने की मांग समूह के 21 नग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की है । छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम 2023 की कंडिका 2.1(डी)(2) के अनुसार —



परिवादी से अभिप्रेत है - "कोई पंजीकृत अथवा अपंजीकृत उपभोक्ता समिति, जहां क्षुब्ध/परिवेदित उपभोक्ताओं का समान हित हो।" चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में सभी 21 परिववादीगणों का समान हित है अतः उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि परिववादीगण वैध शिकायतकर्ता हैं।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (ख) की विवेचना एवं निष्कर्ष -

7. परिववादीगणों द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) एवं विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 10.18 का संदर्भ देते हुए लेख किया गया है कि दो वर्ष से अधिक अवधि तक त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट की राशि वर्तमान में वसूली योग्य नहीं है। इस संबंध में उत्तरवादी द्वारा कोई लेख नहीं किया गया है। अवगत हो कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अंतर्गत किसी राशि की वसूली के लिए दो वर्ष की परिसीमा अवधि उस दिनांक से प्रारंभ होती है जब अनुज्ञापतिधारी द्वारा प्रथम बार उक्त राशि का देयक जारी किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में यद्यपि वसूली योग्य राशि की गणना पूर्व की कई वर्षों की अवधि के लिए की गयी है लेकिन उस वसूली योग्य राशि का मांग पत्र उत्तरवादी द्वारा प्रथम बार वर्ष 2026 में जारी किया गया है जिसकी दो वर्ष की परिसीमा अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है अतः उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अनुसार उत्तरवादी द्वारा प्रेषित पूरक देयक राशि के वसूली योग्य नहीं होने का परिववादीगणों का तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (ग) की विवेचना एवं निष्कर्ष -

8. परिववादीगणों द्वारा अपने आवेदन में यह लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के विद्युत उपभोक्ता होने के नाते वे भी राज्य शासन की बिजली बिल हाफ योजना का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं जिससे उत्तरवादी द्वारा उन्हें वंचित रखा जा रहा है। इस संबंध में उत्तरवादी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गयी है। उत्तरवादी के विभागीय नियमों में किसी विभागीय अधिकारी/कर्मचारी को उसके विद्युत देयक में 50 प्रतिशत/25 प्रतिशत की विभागीय छूट एवं राज्य शासन की बिजली बिल हाफ योजना की छूट एक साथ दिए जाने का प्रावधान नहीं है। उत्तरवादी द्वारा परिववादीगणों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए 50 प्रतिशत विभागीय छूट के स्थान पर 25 प्रतिशत विभागीय छूट देते हुए वसूली योग्य राशि की गणना की गयी है अतः उत्तरवादी द्वारा 25 प्रतिशत विभागीय छूट के साथ शासन की बिजली बिल हाफ योजना का लाभ परिववादीगणों को नहीं दिया गया है। उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि उत्तरवादी द्वारा शासन की बिजली बिल हाफ योजना से उन्हें वंचित रखने का परिववादीगणों का दावा सही नहीं है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (घ) की विवेचना एवं निष्कर्ष -



9. उत्तरवादी द्वारा प्रेषित पूरक देयक के वसूली योग्य नहीं होने के समर्थन में परिवादीगणों द्वारा माननीय न्यायालयों के निर्णयों का संदर्भ प्रस्तुत किया गया है। परिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत न्यायालयीन संदर्भ एवं प्रस्तुत प्रकरण की उनसे संबद्धता निम्न बिंदुओं में देखी जा सकती है -

1. प्रकरण क्रमांक 11527/2014 "रफीक मसीह विरुद्ध पंजाब राज्य" माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय दिनांक 18.12.2014। परिवादीगणों को उनके सेवाकाल के दौरान नियोक्ता द्वारा प्रदत्त सेवाशर्तों से संबंधित अतिरिक्त लाभ/भुगतान से संबंधित है।

2. प्रकरण क्रमांक 16880/2024 "मारियानुस टोप्पो विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन", माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.05.2024। यह निर्णय परिवादी के सेवा में रहते हुए त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण से संबंधित है जिसके कारण 22 वर्षों तक अतिरिक्त वेतन का भुगतान होता रहा।

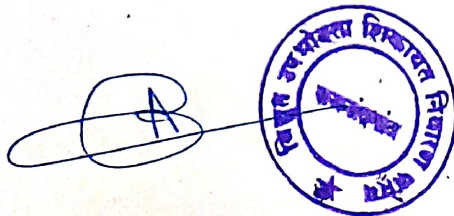
3. प्रकरण क्रमांक 455/2025 "दिव्य कुमार साहू विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन", माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.07.2025। यह निर्णय परिवादी के सेवा में रहते हुए त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण एवं अतिरिक्त भुगतान से संबंधित है।

उपरोक्त प्रकरणों में घोषित निर्णयों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त सभी निर्णय कर्मचारी को उसके सेवाकाल के दौरान उसके नियोक्ता द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रदत्त सेवाशर्त संबंधी किसी अतिरिक्त लाभ या भुगतान से संबंधित है। माननीय न्यायालयों द्वारा सेवाकाल की अवधि में प्रदत्त उक्त अतिरिक्त लाभ या भुगतान को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में वसूली योग्य नहीं होना बताया गया है। प्रस्तुत प्रकरण, परिवादीगणों को उनकी सेवानिवृत्ति पश्चात प्रदत्त अतिरिक्त विभागीय छूट से संबंधित है न कि उनके सेवाकाल में नियोक्ता द्वारा प्रदत्त किसी अतिरिक्त लाभ या भुगतान से।

उल्लिखित सभी प्रकरण परिवादी को प्रदत्त उसकी सेवाशर्तों जैसे वेतन निर्धारण, उच्च वेतनमान एवं भत्तों से संबंधित लाभ या भुगतान से संबंधित हैं जबकि इस प्रकरण में परिवादीगणों को उनके विद्युत देयक में प्रदत्त विभागीय छूट उनकी सेवाशर्तों का हिस्सा नहीं है।

माननीय न्यायालयों द्वारा कर्मचारियों को उनके सेवाकाल में प्रदत्त ऐसे लाभ या भुगतान की, सेवानिवृत्ति पश्चात वसूली पर रोक लगायी गयी है जिसमें भुगतान की सारी त्रुटि नियोक्ता की हो और परिवादी प्राप्त किए गए किसी अतिरिक्त लाभ से अनभिज्ञ रहा हो। प्रस्तुत प्रकरण में विद्युत देयक में छूट हेतु विभागीय शर्तों का पालन करने का घोषणा पत्र/विकल्प पत्र जमा करते हुए प्राप्त की गयी विभागीय छूट के सेवाकाल के बाद भी जारी रहने की जानकारी नहीं होने का परिवादीगणों का दावा अस्वीकार्य है।

उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि परिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत न्यायालयीन निर्णयों का संदर्भ, उत्तरवादी द्वारा प्रेषित पूरक देयक राशि के मांग पत्र को निरस्त किए जाने के, परिवादीगणों के तर्क को पुष्ट नहीं करता है।



विचारणीय प्रश्न क्रमांक (ण) की विवेचना एवं निष्कर्ष -

10. परिवारीगणों द्वारा यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कि सेवानिवृत्ति पश्चात विद्युत देयक में अतिरिक्त विभागीय छूट प्रदान किए जाने के लिए चूंकि उत्तरवादी पूर्णतः जिम्मेदार है एवं परिवारीगणों की इसमें कोई भूमिका नहीं है, उत्तरवादी द्वारा प्रेषित पूरक देयक राशि के मांग पत्र को निरस्त किए जाने की मांग की गयी है। इस संबंध में अवगत हो कि उत्तरवादी (तत्समय के मध्य प्रदेश विद्युत मंडल) द्वारा अपने नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके मासिक विद्युत देयक में प्रदान की जाने वाली 50 प्रतिशत विभागीय छूट के संबंध में प्रथम बार परिपत्र क्रमांक 01-05/I/WC/167 dt.05.12.1989 को जारी किया गया था जिसमें निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने संबंधी वचन पत्र दिए जाने की स्थिति में ही विभागीय छूट दिए जाने का प्रावधान था। स्पष्ट है कि परिवारीगणों द्वारा भी अपने सेवाकाल में निर्धारित वचन पत्र प्रस्तुत करते हुए विभागीय छूट प्राप्त की गयी थी। वचन पत्र/विकल्प पत्र जैसी शर्तें पूरा करने के पश्चात अपने सेवाकाल में प्राप्त की गयी विभागीय छूट के मात्र सेवाकाल तक ही जारी रहने के तथ्य एवं सेवानिवृत्ति पश्चात प्राप्त की जाने वाली अतिरिक्त विभागीय छूट की जानकारी से सर्वथा अनभिज्ञ होने का परिवारीगणों का कथन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। सेवानिवृत्ति पश्चात भी विद्युत देयक में 50 प्रतिशत विभागीय छूट प्राप्त करते रहने की स्थिति में इस पर संज्ञान लेते हुए विभाग को इस संबंध में सूचित करना भी परिवारीगणों की जिम्मेदारी थी जिसका उसके द्वारा निर्वहन नहीं किया गया।

उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि सेवानिवृत्ति पश्चात अतिरिक्त विभागीय छूट दिए जाने की परिस्थिति के लिए उत्तरवादी एवं परिवारीगण दोनों ही जिम्मेदार हैं एवं इस आधार पर परिवारीगणों को, उत्तरवादी से प्राप्त की गयी अतिरिक्त विभागीय छूट राशि को वापस किए जाने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता है।

11. परिवारीगणों द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए बिजली बिल हाफ योजना की छूट प्रदान किए जाने की मांग की गयी है एवं लेख किया गया है कि विभाग की अपनी गलती या देरी के कारण किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता। अवगत हो कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, बिलासपुर, इस फोरम का ही समकक्ष फोरम है जिसके आदेशों को स्वीकार किये जाने हेतु यह फोरम बाध्य नहीं है।

12. संपूर्ण विचारणीय प्रश्नों की विवेचना और उनके निष्कर्ष के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि परिवारीगणों को प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट की पूरक देयक राशि निरस्त किए जाने योग्य नहीं है।

13. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत मैं यह पाता हूँ कि परिवारीगण अपना मामला साबित करने में असफल रहे हैं। अस्तु प्रस्तुत परिवाद में निम्नानुसार आदेश प्रदान किया जाता है -

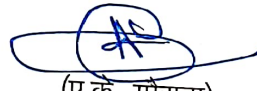


1. उत्तरवादी द्वारा प्रेषित पूरक देयक राशि, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) एवं सप्लाई कोड की कंडिका 10.18 के अनुसार निरस्त किए जाने योग्य नहीं है ।
2. परिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायालयीन निर्णयों का संदर्भ प्रस्तुत प्रकरण से संबद्ध नहीं है ।
3. लंबी अवधि तक प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट की राशि के भुगतान के लिए परिवादीगणों द्वारा मांग किए जाने पर उत्तरवादी यथोचित किशतों में भुगतान की सुविधा प्रदान करें ।
4. उत्तरवादी द्वारा परिवादीगणों को प्रेषित पूरक देयक राशि का मांग पत्र सही एवं परिवादीगणों द्वारा भुगतान योग्य है ।
14. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ.ग.) में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

आदेश पारित किया गया




(ए.के. गौराहा)
अध्यक्ष

